भारत का संघवाद: संरचनात्मक पुनर्गठन की आवश्यकता – केंद्र-राज्य संबंधों का पुन: अंशांकन

UPSC प्रासंगिकता- GS पेपर 2: संघवाद, केंद्र-राज्य संबंध

चर्चा में क्यों? तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम. के. स्टालिन ने भारत की संघीय व्यवस्था के "संरचनात्मक पुनर्गठन" (structural reset) का आह्वान किया है। अप्रैल 2025 में, तमिलनाडु सरकार ने कुरियन जोसेफ की अध्यक्षता में केंद्र-राज्य संबंधों पर एक उच्च-स्तरीय समिति का गठन किया था। इसकी रिपोर्ट का भाग-I दिनांक 16 फरवरी, 2026 को प्रस्तुत किया गया, जिसमें निम्नलिखित मुद्दों को संबोधित किया गया है:

- राज्यपालों की भूमिका
- भाषा नीति
- परिसीमन (Delimitation)
- GST
- शिक्षा और स्वास्थ्य शासन इसने इस बहस को फिर से हवा दे दी है कि क्या भारत का संघीय ढांचा अत्यधिक केंद्रीकृत हो गया है।

पृष्ठभूमि: भारतीय संघवाद का विकास

1. संवैधानिक डिजाइन भारत के संविधान ने भारत को "राज्यों के संघ" (Union of States) के रूप में स्थापित किया। यह काफी हद तक भारत सरकार अधिनियम 1935 से प्रेरित था। सातवीं अनुसूची के तहत तीन सूचियाँ दी गई हैं:

- संघ सूची (Union List)
- राज्य सूची (State List)
- समवर्ती सूची (Concurrent List) हालांकि, अवशिष्ट शक्तियाँ (residuary powers) संघ में निहित की गईं — जो केंद्र की ओर झुकाव को दर्शाती हैं।

2. ऐतिहासिक संदर्भ स्वतंत्रता के समय की परिस्थितियाँ:

- विभाजन का आघात
- 500+ रियासतों का एकीकरण
- अलगाववाद का डर इस कारण, उस समय एक मजबूत केंद्रीकरण को आवश्यक माना गया था।

संघवाद पर संवैधानिक स्थिति उच्चतम न्यायालय ने 'एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघ (1994)' मामले में व्यवस्था दी थी कि:

- संघवाद (Federalism) संविधान के 'मूल ढांचे' (Basic Structure) का हिस्सा है।
- राज्य, केंद्र के मात्र अंग या अधीनस्थ नहीं हैं।
- अपने क्षेत्र के भीतर, राज्य सर्वोच्च हैं। इसके बावजूद, राज्यों की स्वायत्तता के क्षरण को लेकर बहस जारी है।

IAS-PCS Institute

उजागर किए गए मुद्दे: बढ़ते केंद्रीकरण के संकेत

1. संघ की शक्तियों का विस्तार

- समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने में वृद्धि।
- राज्य के कानूनों को दरकिनार करने के लिए अधीनस्थ विधानों (subordinate legislation) का उपयोग।

2. वित्तीय केंद्रीकरण

- GST ने राज्यों की स्वतंत्र कराधान शक्तियों को कम कर दिया है।
- वित्त आयोग के सशर्त अनुदान।
- कठोर ढांचे वाली केंद्र प्रायोजित योजनाओं (CSS) की वृद्धि।

Result Mitra
रिजल्ट का साथी
@resultmitra www.resultmitra.com 9235313184, 9235440806

3. राज्यपालों की भूमिका

- राज्य के विधेयकों पर सहमति देने में देरी के आरोप।
- संवैधानिक पदों का कथित राजनीतिक उपयोग।

4. 'एक आकार सभी के लिए उपयुक्त' (One-Size-Fits-All) नीति निर्माण समान राष्ट्रीय योजनाएं निम्नलिखित वास्तविकताओं को प्रतिबिंबित नहीं कर सकती हैं:

- क्षेत्रीय कृषि विविधता
- भाषाई विविधता
- विकास के अलग-अलग स्तर

अधिक विकेंद्रीकरण के पक्ष में तर्क

1. राज्य 'लोकतंत्र की प्रयोगशालाओं' के रूप में कई नवाचार राज्य स्तर पर शुरू हुए:

- तमिलनाडु की मध्याह्न भोजन योजना (Mid-Day Meal Scheme)
- केरल का सार्वजनिक स्वास्थ्य मॉडल
- महाराष्ट्र की रोजगार गारंटी योजना बाद में, इन्हीं योजनाओं ने राष्ट्रीय नीतियों का आधार बनाया।

IAS-PCS Institute

2. प्रशासनिक दक्षता स्थानीय सरकारें:

- बेहतर प्रासंगिक ज्ञान रखती हैं।
- अधिक जवाबदेही सुनिश्चित करती हैं।

3. क्षमता निर्माण अत्यधिक केंद्रीय नियंत्रण:

- राज्यों की पहल को कम कर सकता है।
- वित्तीय निर्भरता पैदा कर सकता है।

विपक्ष में तर्क: केंद्रीकरण का बचाव क्यों किया जाता है?

- **राष्ट्रीय एकता और सुरक्षा संबंधी चिंताएं:** एकरूपता क्षेत्रीय अखंडता सुनिश्चित करती है।
- **आर्थिक एकीकरण:** GST एक साझा बाजार को बढ़ावा देता है।
- **राज्यों के बीच समानता:** केंद्रीय योजनाएं स्वास्थ्य, शिक्षा और कल्याण में न्यूनतम राष्ट्रीय मानक सुनिश्चित करती हैं।
- **प्रशासनिक क्षमता में अंतर:** कुछ राज्यों को मानकों को बनाए रखने के लिए केंद्रीय हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है।

Result Mitra
रिजल्ट का साथी
@resultmitra www.resultmitra.com 9235313184, 9235440806

विशेषज्ञ समितियों की विरासत केंद्र-राज्य संबंधों की जांच करने वाले पिछले आयोग:

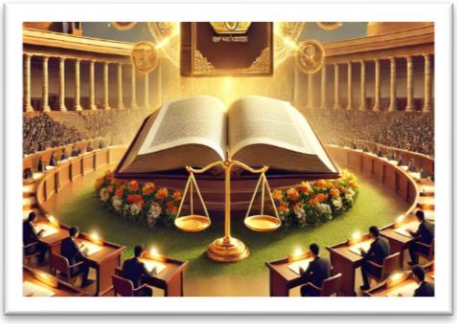

- **सरकारिया आयोग (1983-88)**
- **पुंछी आयोग (2007-10)** इन्होंने सहकारी संघवाद (Cooperative Federalism) की सिफारिश की लेकिन आमूल-चूल बदलाव से परहेज किया। इससे पहले तमिलनाडु ने एम. करुणानिधि के नेतृत्व में राजमन्नार समिति (1969) का गठन किया था, जिसने राज्यों के लिए अधिक स्वायत्तता की वकालत की थी।

आगे की राह: सहकारी और प्रतिस्पर्धी संघवाद की ओर

- अंतर-राज्य परिषद (Inter-State Council) को मजबूत करना।
- राज्य के विधेयकों पर समयबद्ध सहमति सुनिश्चित करना।
- केंद्र प्रायोजित योजनाओं (CSS) का युक्तिकरण करना।
- बिना शर्त वित्तीय हस्तांतरण (untied fiscal transfers) में वृद्धि करना।
- नीतिगत प्रयोगों को बढ़ावा देना।
- केंद्र-राज्य संवाद को संस्थागत रूप देना। लक्ष्य टकराव नहीं, बल्कि पुन: संतुलन (recalibration) होना चाहिए।

निष्कर्ष

भारत के संघीय ढांचे को 1947 की चिंताओं ने आकार दिया था। छिहत्तर साल बाद, राष्ट्र राजनीतिक रूप से परिपक्व और संस्थागत रूप से स्थिर है। यह बहस संघ को कमजोर करने के बारे में नहीं है, बल्कि इसे 'सही आकार' (right-sizing) देने के बारे में है — ताकि संघ राष्ट्रीय प्राथमिकताओं पर ध्यान केंद्रित कर सके और राज्यों को अपने क्षेत्र में प्रभावी ढंग से शासन करने के लिए सशक्त बनाया जा सके।

प्रारंभिक परीक्षा अभ्यास प्रश्न

प्रश्न 1. भारतीय संघवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. भारत का संविधान अवशिष्ट शक्तियाँ राज्यों को प्रदान करता है।
2. संघवाद को उच्चतम न्यायालय द्वारा संविधान की मूल संरचना का भाग घोषित किया गया है।
3. समवर्ती सूची के विषयों पर संसद और राज्य विधानमंडल दोनों कानून बना सकते हैं।

उपरोक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

A. केवल 1

B. केवल 2 और 3

C. केवल 1 और 3

D. 1, 2 और 3

उत्तर: B

IAS-PCS Institute
Result Mitra
रिजल्ट का साथी
@resultmitra www.resultmitra.com 9235813184, 9235440806

प्रश्न 2. निम्नलिखित में से किन निकायों ने विशेष रूप से भारत में संघ–राज्य संबंधों की समीक्षा की?

1. सरकारिया आयोग
2. पुंछी आयोग
3. राजामन्नार समिति
4. वित्त आयोग

नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर चुनिए:

A. केवल 1 और 2

B. केवल 1, 2 और 3

C. केवल 2 और 4

D. 1, 2, 3 और 4

उत्तर: B

मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न (सामान्य अध्ययन पत्र-II)

प्रश्न: "भारत की संघीय संरचना ऐतिहासिक परिस्थितियों के कारण एक केंद्रीकरण प्रवृत्ति के साथ निर्मित की गई थी। तथापि, समकालीन शासन व्यवस्था संघ–राज्य संबंधों के पुनर्संतुलन की मांग करती है।" चर्चा कीजिए। (250 शब्द)

IAS PCS Institute
Result Mitra
रिजल्ट का साथी
@resultmitra www.resultmitra.com 9235313184, 9235440806